

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी - हस्तीमल पुत्र शंकरलाल - बनावः

अप्रार्थी - तहसीलदार

किस्म मुकदमा - राजस्व प्रापत्र

नम्बर - 150/2023

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तामील
में जारी
हुए

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/06/23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कुड़की में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RA Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 461 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी का नाम हस्तीमल पुत्र सुगनलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में हस्तीमल पुत्र शंकरलाल हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम हस्तीमल पुत्र सुगनलाल के स्थान पर हस्तीमल पुत्र शंकरलाल शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कुड़की में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 461 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी का नाम हस्तीमल पुत्र सुगनलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में हस्तीमल पुत्र शंकरलाल दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम हस्तीमल पुत्र सुगनलाल के स्थान पर हस्तीमल पुत्र शंकरलाल शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 461 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि हस्तीमल पुत्र सुगनलाल को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " हस्तीमल पुत्र शंकरलाल " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(उपखण्ड अधिकारी)
SDO
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
तहसीलदार जैतारण (पाली)

